वित्त निर्देश 05/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 41/सी-31653/10/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 22.02.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ:-1.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 28 अप्रैल, 08।
2.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 08/सी-2802/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 15 जनवरी, 2009।
3.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 231/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 10 अगस्त, 2009।
4.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 233/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 10 अगस्त, 2009।
5. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 01/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 02.01.2010 ।
6.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 55/सी-29276/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 5 मार्च,2010
7.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.216/सी-2802/10/वित्त/नियम/चार दिनांक 4 अगस्त, 2010

छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से संदर्भित ज्ञापनों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भ में दर्शाये गये परिपत्रों के साथ संलग्न परिशिष्ट 2 में दर्शित विभागों के समक्ष उल्लेखित पदों के अतिरिक्त इस परिपत्र के साथ संलग्न 'परिशिष्ट' में दर्शाये गये पदों को शामिल किया जावे ।

3/ वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 04.08.2010 द्वारा जारी वित्त निर्देश 32/2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मंडल संयोजक संवर्ग का समयमान वेतनमान की सूची को इस परिपत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार प्रतिस्थापित माना जाय ।

4/ समस्त विभागों से अनुरोध है कि वे परिशिष्ट में दर्शाये गये उनके विभाग से संबंधित पदों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें ये पद सीधी भर्ती के हैं एवं इनका वेतनमान सही है । किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर समुचित संशोधन हेतु वित्त विभाग को तत्काल अवगत कराया जावे ।

5/ वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों में निहित प्रावधान यथावत लागू रहेंगें ।

संलग्न-परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2011\Doc File\05.doc

पृ. क्रमांक 41/सी-31653/10/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 22.02.2011

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रोग्रामर, संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

foHkkxokj ,oa laoxZokj mPPkrj orueku dh lwph

d-	foHkkx dk uke	foHkkxk/;{k	loxZ	orZeku orueku¼ikpok½	orZeku orueku	iFke mPprj osrueku	f}rh; mPprj osrueku
1	**vkfne tkfr rFkk vuqlwfpr tkfr fodkl foHkkx**	आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	व्याख्याता	5500-9000	9300-34800+4300	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			व्यायाम शिक्षक	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			शिक्षक	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			डाटा एन्ट्री आपरेटर	3500-5200	5200-20200+2200	5200-20200+2400	5200-20200+2800
			ग्रंथपाल(निम्न वेतन)	3500-5200	5200-20200+2200	5200-20200+2400	5200-20200+2800
			मंडल संयोजक	4500-7000	5200-20200+2800	9300-34800+4300	9300-34800+4400
2	**lekt dY;k.k foHkkx**	पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय	जिला अंकेक्षक	5500-9000	9300-34800+4300	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			व्याख्याता	5500-9000	9300-34800+4300	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			विशेष शिक्षक	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			उच्च वर्ग शिक्षक	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			शिक्षक(दृष्टि बाधित/ श्रवण बाधित	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			एकीकृत शिक्षक	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			प्रशिक्षित उच्च वर्ग शिक्षक	4500-7000	5200-20200+2800	9300-34800+4300	9300-34800+4400

d-	foHkkx dk uke	foHkkxk/;{k	loxZ	orZeku osrueku¼iapoka½	orZeku osrueku	izFke mPprj osrueku	f}rh; mPprj osrueku
			प्रशिक्षित शिक्षक	4500-7000	5200-20200+2800	9300-34800+4300	9300-34800+4400
			हाऊस मास्टर	4000-6000	5200-20200+2400	5200-20200+2800	9300-34800+4200
			प्रशिक्षक / व्यावसायिक प्रशिक्षक	4000-6000	5200-20200+2400	5200-20200+2800	9300-34800+4200
			व्यावसायिक शिक्षक / मान्टेसरी शिक्षक / निम्न वर्ग शिक्षक	4000-6000	5200-20200+2400	5200-20200+2800	9300-34800+4200
3	rduhdh f'k{kk foHkkx	संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, 'रोजगार पक्ष'	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3500-5200	5200-20200+2200	5200-20200+2400	5200-20200+2800
4	Je foHkkx	राज्य औद्योगिक न्यायालय	पीठासीन अधिकारी	8000-13500	15600-39100+5400	15600-39100+6600	15600-39100+7600
5	LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	सहायक लोक अभियाजक	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			रसायनज्ञ / सहायक लोक विश्लेषक	3500-5200	5200-20200+2200	5200-20200+2400	5200-20200+2800
			नमूना सहायक (सेम्पलिंग असिस्टेंट)	3050-4590	5200-20200+1900	5200-20200+2400	5200-20200+2800